आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत आर०एम० वाद सं०-36/2017-18

महेश्वर महतो.....विक्रेता

27.12.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राहे के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय ज्ञापांक-1307(ii) / रा० दिनांक-06.12.2022, एवं ज्ञापांक-1371(ii) / रा० दिनांक-17.12.2022, के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेत् नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता महेश्वर महतो पिता-स्व० नकुल महतो, ग्राम-कोम्बोजाराडीह, पो०-अम्बाझरिया, थाना-अनगड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी (महतो) पेशा—खेती एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमित वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती

है।

भूमि का विवस

गूर्व की विवर्ध				
मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
	स०			
बेला	सोनाहातु / 79	30	574	46 डी०
			626	50 डी०

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार चुप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डु (राँची)।